

प्रेस नोट

कल दिनांक 27-9-20 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित व 10000,10000,रुपये के ईनामी 07 अभियुक्त निवासीगण ग्राम कम्बोजनगर थाना हजारा पीलीभीत संबन्धित मु0अ0स0 132/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

थाना हजारा पीलीभीत मे पंजीकृत मु0अ0स0 132/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट वनाम1. लक्की उर्फ लखविन्दर सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह 2.बन्टी सिंह उर्फ सूरज पुत्र बलवीर सिंह 3. सोनी उर्फ सोनू पुत्र सन्तोक सिंह 4.गग्गी उर्फ मैसी उर्फ रमेश पुत्र कश्मीर सिंह 5.संदीप पुत्र शेर सिंह 6. पुप्पी उर्फ मलकीत पुत्र अजीत सिंह 7.लक्की उर्फ लखविन्दर सिंह पुत्र जनरैल सिंह समस्त निवासीगण ग्राम कम्बोजनगर थाना हजारा पीलीभीत मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे थे । जिन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10000-10000 रुपये का ईनाम घोषित था, जिनको कल दिनांक 27-9-20 को समय करीब 17.20 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना हजारा व व0उ0नि0 सुशील कुमार,उ0नि0 दिलेरामपाल,चौकी प्रभारी उ0नि0 संजय कुमार, हे0का0 134 सुरेश चन्द्र मिश्रा, का01401 रवि कुमार,का0 254 अंकुर कुमार,का0 965 शम्मी कुमार, का0966 रोबिन सिंह,का0 358 बुद्ध प्रताप गौतम म0का0 653 साक्षी म0का0 60 अन्नू के साथ नेता की पुलिया बाहद ग्राम कम्बोजनगर थाना हजारा पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है। जिनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1. लक्की उर्फ लखविन्दर सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी कम्बोजनगर थाना हजारा पीलीभीत।

- 1.मु0अ0स0 138/19 धारा - 395,412भादवि,
- 2.मु0अ0स0 149/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

2.बन्टी सिंह उर्फ सूरज पुत्र बलवीर सिंह नि0 नि0 उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395, 412 भादवि।

3. सोनी उर्फ सोनू पुत्र सन्तोक सिंह नि0 उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395 भादवि।

4.गग्गी उर्फ मैसी उर्फ रमेश पुत्र कश्मीर सिंह नि0 उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395,412 भादवि।

5.संदीप पुत्र शेर सिंह नि0 उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395 भादवि।

6. पुप्पी उर्फ मलकीत पुत्र अजीत सिंह नि0 उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395 भादवि।

7.लक्की उर्फ लखविन्दर सिंह पुत्र जनरैल सिंह निवासी उपरोक्त

मु0अ0स0 138/19 धारा 395,412भादवि।